

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत

कलेक्टर

मुकाम

बांदाकुई

..... बनाव .....  
किस्म मुकदमा ..... नं० .....  
T I 2025/63

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

8/11/2026  
 पत्रावली पेश हुई वकील बदी उपर  
 वास्ते बहल सुनी जाय 10/11/2026 को  
 पेश हो

**उप खण्ड अधिकारी**  
**बांदाकुई (देवा)**

10/02/26

पत्रावली पेश हुई वकील बदी उपर वादी प्राथी वकील द्वारा प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहल की हमने बहल सुनी वास्ते अदालत पत्रावली दिनांक 11/02/2026 को पेश हो

**उपखण्ड अधिकारी**  
**बांदाकुई**

11/02/26

पत्रावली पेश हुई वकील प्राथी उपर प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर प्राथी वकील की बहल पर मनन किया प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व दावा पत्रावली का अकलोजन किया मूल दावा इस्तकार हउ इन्जाज डुरुस्ती एवं हुकम इन्तनाई स्वामी अस्तिगत का है जिसका पर्याप्त साक्ष्य सबूतों के आधार पर किचित निस्तारण किया जाना है मूल दावे के किचित निस्तारण होने तक अप्राथीगत द्वारा वादग्रस्त भूमि में अदालत के महसुस अत्राथीगत की पाबंदकत प्रकृषामे जारी T-I आदेश को मूल वाद के निस्तारणतक कन्कमे किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्राथी वकील बहल पर मनन करते एवं पत्रावली

**अ.प.ए.**

तारीख  
हुकम

कु अवलोकन के आधार उजवानी प्रकृष विभाग वगैरे  
बनाम अनिता बर्गें मु नं 23/2024 में जारी अंतिम  
अस्थायी निषेधाज्ञा के दिनांक 18/02/2024 को  
ताऊपला मूलवाद के कन्फर्म किया जाता है। प्रकृष  
उपलब्धुमार होत्र बाद तन्मीन हमजिला मूलवाद रसे

*(Handwritten Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
बांदीकुई

शिकायत नं 1000

*(Faint, mostly illegible handwritten text in the main body of the document)*